

**प्रस्ताव दस्तावेज में न्यूनतम प्रकटीकरण**

- i. नया निर्गम किये जाने की तिथि को बकाया सीपी और अन्य ऋण लिखतें, जिनमें उनके निर्गम की तिथि, जारी की गयी राशि, परिपक्वता तिथि, बकाया राशि, साख-श्रेणी-निर्धारण, साख-श्रेणी-निर्धारण एजेंसी का नाम और आइपीए का नाम सम्मिलित हो
- ii. पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति का सार अथवा यदि जारीकर्ता का अस्तित्व तीन वर्षों तक नहीं रहा हो, तो उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति, तात्विक मुकदमा और विनियामक अवक्षेप (strictures)
- iii. पिछले तीन वर्षों में सीपी या किसी अन्य उधार में चूक के ब्यौरे
- iv. चालू शृंखला के ब्यौरे, जिसमें राशि, वर्तमान साख-श्रेणी-निर्धारण, साख-श्रेणी-निर्धारण एजेंसी का नाम, इसकी वैधता अवधि और आइपीए के ब्यौरे शामिल हों
- v. निधियों का उद्दिष्ट उपयोग